

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-12) विभाग

56

क्रमांक :प.2(6)गृह-12/कारा/2013

जयपुर,दिनांक 31 AUG 2016

महानिदेशक, कारागार,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- केन्द्रीय कारागृहों पर महिला बंदी सुधारगृह खोलने बाबत।  
संदर्भ: आपका पत्रांक: स्था./सैटअप/906/पार्ट-12/14534 दिनांक 03.07.14,  
3872 दिनांक 25.04.16, एवं पत्रांक 17499 दिनांक 24.06.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में 5 नवीन महिला कारागृहों के संचालन हेतु निम्नानुसार 100 नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क. स.	पदनाम	गृह	उदयपुर	अजमेर	कोटा	बीकानेर	भरतपुर	कुल योग
1	कारापाल	3600	1	1	1	1	1	5
2	सहायक कारापाल	2800	1	1	1	1	1	5
3	मुख्य प्रहरी	2000	3	3	3	3	3	15
4	प्रहरी	1900	11	11	11	11	11	55
5	वरिष्ठ लिपिक	2800	1	1	1	1	1	5
6	कनिष्ठ लिपिक	2400	1	1	1	1	1	5
7	सफाई कर्मचारी	1700	1	1	1	1	1	5
8	चपरासी साईकिल सवार	1700	1	1	1	1	1	5
	<b>कुल योग</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

नवीन स्वीकृत पदों पर होने वाला वित्तीय भार संबंधित बजट मद से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-4) विभाग की आई.डी. संख्या 101603079 दिनांक 23.08.2016 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

भवदीय,

३४

(कृष्ण कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम, द्वितीय) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
3. वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. लेखाधिकारी (गृह-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव